न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26/2023 **दायर दिनांकः 25.08.2023**

उनवान

1. रामकिशन आयु 70 वर्ष पुत्र ओंकार दत्तक पुत्र गजानन्द जाति माली निवासी व्यासखेडी तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 16.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल व्यासखेडी पटवार हल्का खरखडा रामलोथान तह. अटरू में खाता संख्या 95 का खसरा न. 58 का रकबा 0.47 है., खसरा न. 59 का रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.88 है. भूमि स्थित है जो प्रार्थी के दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के असल पिता ओंकार थे लेकिन प्रार्थी को गजानन्द जी ने गोद ले लिया था इसलिए प्रार्थी के अन्य खातों में प्रार्थी का नाम रामकिशन दत्तक पुत्र गजानन्द दर्ज खाता चला आ रहा है, लेकिन प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में रामकिशन पुत्र ओंकार दर्ज खाता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी को ऋण प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में प्रार्थी के वारिसान को नामान्तरण में कठिनाई होगी इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम के साथ साथ दर्ज करवाकर दत्तक पुत्र गजानन्द भी दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने दिनांक 21/08/2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:00 IST
Reason: SelfAttested

साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी । इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारि है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम व्यासखेड़ी तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र ओंकार को दुरुस्त किया जाकर रामकिशन पुत्र ओंकार दत्तक पुत्र गजानन्द दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/79 दिनांक 07.01.2025 से रिपोर्ट भिजवायी गई, जो शामिल फाईल की गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र रामकिशन पुत्र ओंकार दत्तक पुत्र गजानन्द पेश किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहसी सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल व्यासखेडी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 95, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल व्यासखेडी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 47, आधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, [illegible] तथा [illegible] अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल व्यासखे[illegible]स्थान तह. अटरू में खाता संख्या 95 का खसरा न. 58 का रकबा 0.47 है0, खसरा न. 59 का रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.88 है0 आराजी में खातेदार रामकिशन पुत्र ओंकार के स्थान पर रामकिशन पुत्र ओंकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:00 IST
Reason: SelfAttested

दत्तक पुत्र गजानन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आधार पर ग्राम एवं माल व्यासखेडी पटवार हल्का खरखडा रामलोथान तह. अटरू में खाता संख्या 95 का खसरा न. 58 का रकबा 0. 47 है0, खसरा न. 59 का रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.88 है0 आराजी में खातेदार रामकिशन पुत्र ओकार के स्थान पर रामकिशन पुत्र ओंकार दत्तक पुत्र गजानन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:00 IST
Reason: SelfAttested